(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 24/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2021

सा.का.नि......(अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 52/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 787(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	2709 00 10	कच्चा पेट्रोलियम	1 रुपया प्रति टन	-	-
1क.	2709 00 90	सभी माल	शून्य	-	-";

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/41/2021- टीआरयू)

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 52/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, को सा.का.नि. 787(अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 36/2019-सीमा शुल्क, दिनांक 30 दिसम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 964(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।